अध्याय 6: कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 कर प्रबंध

यह अध्याय खदान एवं भू-विज्ञान तथा परिवहन विभागों से प्राप्तियां समाविष्ट करता है। कर प्रबंध प्रत्येक विभाग के लिए अलग से तैयार किए गए अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में खदान एवं भू-विज्ञान तथा परिवहन विभाग से संबंधित 12 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 26 मामलों में ₹ 13.14 करोड़ की राशि से आवेष्टित रायल्टी की अवसूली/कम वसूली, ब्याज/विस्तारण फीस, परिवहन प्राप्तियों के अनुद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई गई जो **तालिका 6.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 6.1

			(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**श्रेणियां**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1	लघु खनिजों से प्राप्तियां	1	5.09
2	निम्नलिखित की अवसूली		
	• रायल्टी तथा ब्याज	19	0.27
	• संविदा धन के देरी से जमा पर ब्याज	5	0.06
3	परिवहन प्राप्तियां	1	7.72
	योग	**26**	**13.14**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 16 मामलों में आवेष्टित ₹ 16.69 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 13 मामलों में आवेष्टित ₹ 14.60 लाख वर्ष के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए तीन मामलों में ₹ 2.09 लाख वसूल किए।

₹ 12.81 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं:

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

6.2 लघु खनिजों से प्राप्तियां

6.2.1 प्रस्तावना

खदान एवं खनिजों से प्राप्तियों में आवेदन फीस, लाईसेंस फीस, परमिट फीस, रायल्टी, डेड रेंट, जुर्माने एवं शास्तियां, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, इत्यादि शामिल हैं। खनिज तेलों से अलग प्रमुख खनिजों के पूर्वेक्षण स्थल अथवा निष्कर्षण के लिए लीज तथा रियायतों की अनुमति खनिज रियायत नियम, 1960 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित एवं विनियमित की जाती है।

मुख्यालय पर निदेशक, खदान एवं भू-विज्ञान तथा खनन अधिकारियों (एम.ओज) के 16 कार्यालयों में से सात कार्यालयों[1] के वर्ष 2008-09 से 2013-14 के अभिलेखों की नमूना-जांच मार्च तथा जून 2014 के मध्य की गई थी। देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

---

[1] एम.ओज: भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत तथा यमुनानगर।

6.2.2 बोली धन की अवसूली/कम वसूली

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के अनुसार उत्खनन के लिए खनन ठेका नीलामी द्वारा अथवा उच्चतम बोलीदाता की निविदा स्वीकार करके स्वीकृत किया जाता है। बोलीदाता से, जहां संविदा का मूल्य ₹ पांच लाख से अधिक हो जाता है, बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में और वार्षिक बोली का बारहवां भाग संविदा के आबंटन पर तुरंत अग्रिम भुगतान के रूप में जमा करवाना अपेक्षित है। भुगतान में चूक के मामले में सक्षम प्राधिकारी नोटिस देकर संविदा निरस्त तथा प्रतिभूति की राशि जब्त कर सकता है। आगे, संविदा धन की किस्त के भुगतान में चूक के अवधि हेतु, जब तक ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता, 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भी वसूलनीय है।

खनन अधिकारी, भिवानी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि ₹ 4.43 करोड़ की उच्चतम वार्षिक बोली राशि के आधार पर 2007-08 से 2009-10 (फरवरी 2010 तक) के वर्षों के लिए पांच ठेकेदारों को लघु खनिज उत्खनन परमिट अनुमत किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1 मार्च 2010 से खनन गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। ठेकेदारों ने विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 1.88 करोड़ की बोली राशि जमा नहीं करवाई। जब संविदा धन का भुगतान नहीं किया गया तो विभाग ने 10-11 माह की विलंबित अवधि के बाद संविदा को रद्द कर दिया। तीन मामलों में निविदा रद्द किए जाने की तारीख से 35 से 42 माह की विलंबित अवधि के बाद वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किए गए थे। विभाग द्वारा ठेकेदारों से ₹ 1.88 करोड़ का बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ (₹ 2.55 करोड़ के ब्याज[2] सहित) की राशि के बोली धन की कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि सरकारी देयों को वसूल करने के लिए विभाग द्वारा सभी संभव उपाय किए गए थे तथा चूककर्ताओं से सरकारी देयों की वसूली प्रगति में थी।

6.2.3 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन नियम 30 तथा अवैध खनन की रोकथाम नियम, 2012 प्रावधान करता है कि ईंट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने 20 जून 2012 से बी.के.ओज की विभिन्न श्रेणियों की नियत रायल्टी की दरें संशोधित की। चूक के मामले में 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर चूक की अवधि हेतु ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किये जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और इस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है। सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

एम.ओज/ए.एम.ईज के छः कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 151 बी.के.ओज, जिन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल 2012 तथा मार्च 2014 के मध्य

[2] मार्च 2014 तक परिकलित ब्याज।

[3] ए.एम.ईज/एम.ओज: भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

परमिट जारी किए गए थे, ने रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मई 2014 तक 14 से 26 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, अभी तक ₹ 50.94 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओ. द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। परमिटों को रद्द करने तथा/या भू-राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 15.33 लाख की राशि के ब्याज सहित ₹ 66.27 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि ₹ 36.36 लाख (₹ 1.91 लाख के ब्याज सहित) की राशि वसूल कर ली गई थी तथा बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे।

6.2.4 खनिज परिवहन परमिटों का जारी न करना

हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन नियम, 99 एवं 100 तथा अवैध खनन की रोकथाम नियम, 2012 के अनुसार यांत्रिक रूप से या अन्यथा चलाया जा रहा तथा किसी खनिज के परिवहन के लिए प्रयुक्त किसी भी प्रकार के कैरियर ट्रांसपोर्ट को निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास, उपर्युक्त प्रयोजन तथा ऐसी अवधि जो कि राज्य के किसी हिस्से या हिस्सों के लिए अपेक्षित है, पंजीकृत करवाया जाना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए परिवहन विभाग का प्राधिकृत अधिकारी एक वर्ष के लिए ₹ 1,000 के भुगतान पर ऐसे परिवहन वाहन के मालिक को फार्म टी.पी.-2 में खनिज परिवहन परमिट जारी करेगा। परमिट स्टीकर के रूप में होगा।

सात एम.ओज[4] के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि नियम के अंतर्गत अपेक्षितानुसार कोई खनिज परिवहन परमिट जारी नहीं किया गया। इस प्रकार, विभाग, खनिज परिवहन परमिट के जारी करने के कारण वसूल किए जाने वाले राजस्व से वंचित रहा। खनिज परिवहन में संलग्न वास्तविक वाहनों की संख्या के अभाव में वास्तविक प्राप्ति परिकलित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार पांच ठेकेदारों से बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ (₹ 2.55 करोड़ के ब्याज सहित) का बोली धन कम वसूल हुआ तथा ₹ 66.27 लाख की रायल्टी एवं ब्याज 151 बी.के.ओज से वसूल नहीं किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि खनिज परिवहन परमिट को जारी करने की प्रक्रिया का भविष्य में अनुसरण किया जाएगा।

परिवहन विभाग

6.3 परिवहन प्राप्तियां

6.3.1 प्रस्तावना

आम जनता को दक्ष, मितव्ययी, पर्याप्त तथा सुव्यवस्थित परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नवंबर 1966 में परिवहन विभाग के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज, राज्य

[4] भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत तथा यमुनानगर।

सरकार के उपक्रम का गठन किया गया था। 31 मार्च 2014 को इसके पास 4,025 बसों के फ्लीट सहित 24 डिपो (टाटा बसों के लिए 10 डिपो तथा लेलैंड बसों के लिए 14 डिपो) थे।

विभाग बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों से किराए के प्रभारण से प्राप्तियां तथा पुरानी बसों एवं पुराने स्पेयर पार्टों की बिक्री, वाहनों की क्षतिपूर्तियों या जुर्मानों, बस स्टैंडों पर दुकानों के किराए, अड्डा/पार्किंग फीस, टैंकर के भाड़ा प्रभारों, विज्ञापन फीस, टोल टैक्स तथा अन्य विविध प्राप्तियों इत्यादि से गैर परिवहन प्राप्तियां एकत्र करता है।

मुख्यालय पर महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा हरियाणा रोडवेज के 24 डिपो में से छः डिपो[5] के वर्ष 2009-10 से 2013-14 के अभिलेखों की मई तथा जून 2014 में नमूना-जांच की गई थी तथा देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

6.3.2 अड्डा फीस का संग्रहण न करना

फरीदाबाद तथा गुड़गांव सिटी प्राइवेट बस सर्विस स्कीम, 2004 के अंतर्गत निजी व्यक्तियों को पांच वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्र में सिटी बस सर्विस परिचालित करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस.टी.ए.) द्वारा परमिट जारी किए जाने थे। सभी करों, फीसों तथा सरकारी देयों के भुगतान के बाद ही परमिटों का नवीकरण किया जाना था। आगे, हरियाणा रोडवेज के बस स्टापों का उपयोग करने के लिए प्रत्येक सिंगल ट्रिप के लिए आपरेटर समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर अड्डा फीस का भुगतान करने के लिए दायी थे तथा किसी भी शर्त के उल्लघंन के मामले में एस.टी.ए., परमिट के स्थगन/निरस्तीकरण/जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

(i) महानिदेशक राज्य परिवहन (डी.जी.एस.टी.) के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि एस.टी.ए. ने फरीदाबाद तथा गुड़गांव में सिटी बस सर्विस के निजी आपरेटरों को 194 परमिट (फरीदाबाद: 67 तथा गुड़गांव: 127) जारी किए। बसें चलाने के लिए रूट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर.टी.ए.), फरीदाबाद तथा गुड़गांव द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। मार्च 2004 से रूटों पर बसें चलनी आरंभ हुई। तथापि, महाप्रबंधक, फरीदाबाद तथा गुड़गांव को मार्च 2004 से मार्च 2014 के मध्य इन निजी आपरेटरों द्वारा समय-समय पर निर्धारितानुसार अड्डा फीस का भुगतान नहीं किया गया था। निजी आपरेटरों से इन बकाया देयों को वसूल करने के लिए न तो जी.एम. ने कोई कदम उठाया था और न ही आर.टी.एज ने परमिट के स्थगन/निरस्तीकरण/जुर्माना लगाने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की। अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक ₹ 7.55 करोड़ (फरीदाबाद: ₹ 2.91 करोड़ तथा गुड़गांव: ₹ 4.64 करोड़) की राशि की अड्डा फीस का संग्रहण नहीं हुआ।

(ii) फरीदाबाद डिपो के अभिलेख की अगली जांच ने दर्शाया कि एक प्राइवेट आपरेटर ने दूसरे प्राइवेट आपरेटर को 25 मार्च 2010 में अपनी बस बेच दी। तथापि, जब खरीददार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर.टी.ए), फरीदाबाद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र द्वारा वाहन पंजीकृत करवाने के लिए आवेदन किया तो यह उसे जारी नहीं किया गया था क्योंकि इस बस के संबंध में अपेक्षित अड्डा फीस (₹ 4.34 लाख) जमा नहीं करवाई गई थी। खरीददार ने इस आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में रिट याचिका फाइल की कि वह अनुबंध की तारीख (25 मार्च 2010) तक अड्डा फीस का भुगतान करने के लिए दायी नहीं थी। तथापि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया तथा निर्णय दिया (10 मार्च 2014) कि देयों को क्लीयर किए बिना एन.ओ.सी. जारी नहीं की जा सकती तथा

[5] अंबाला, चण्डीगढ़, हिसार, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

सभी बसों के वाहन मालिकों से देयों को वसूल करने के लिए कदम उठाने का राज्य सरकार को निदेश दिया। इस मामले के दौरान यह भी देखा गया था कि ऐसी आठ बसें पहले ही बेची गई थी तथा इन बसों के संबंध में अड्डा फीस (सात मामलों में ₹ 29.46 लाख) वसूल किए बिना इन बसों को एन.ओ.सीज जारी किए गए थे। इस प्रकार, विभाग अपने देय वसूल किए बिना अन्य निजी आपरेटरों के नामों में बसों की बिक्री तथा पंजीकरण की अनुमति दे रहा था। चूंकि, अड्डा फीस के भुगतान न करने के रिकार्ड का रख–रखाव जी.एम. द्वारा किया जाता है किंतु आर.टी.ए. को खरीददारों के नाम में बसों के पंजीकरण के हस्तांतरण या परमिट के नवीकरण हेतु निजी आपरेटर को एन.ओ.सी. जारी करने से पहले जी.एम. से बकाया अड्डा फीस की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि वाहनों की बिक्री के लिए एन.ओ.सीज जारी करने से पहले देयों की वसूली सुनिश्चित करने तथा नवीकरण एवं पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए उपयुक्त प्रणाली उपलब्ध नहीं थी तथा विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है जो विभाग की विफलता दर्शाता है।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि पंजाब भू–राजस्व अधिनियम, 1887 (पी.एल.आर. अधिनियम) के अंतर्गत अड्डा फीस की वसूली प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई थी।

6.3.3 किराए की दुकानों पर सेवा कर का असंग्रहण/कम संग्रहण

वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत परिभाषित अचल संपत्ति को किराए पर देने की सेवाओं पर 01 जून 2007 से सेवा कर लगाया गया था। हरियाणा रोडवेज के विभिन्न बस स्टैंडों पर जो दुकानें थी वो किराए पर दी गई थी।

दस डिपुओं[6] के अभिलेखों की नमूना–जांच ने दर्शाया कि डिपुओं ने 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान दुकानों पर ₹ 12.46 करोड़ का किराया एकत्र किया। इस किराए पर सेवा कर ₹ 1.40 करोड़ परिकलित किया गया जिसमें से डिपुओं ने ₹ 1.23 करोड़ की राशि एकत्र की तथा जमा करवाई तथा शेष ₹ 16.83 लाख का सेवा कर एकत्र नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग ने दुकान के ठेकेदारों से ₹ 16.83 लाख का सेवा कर एकत्र नहीं किया था।

विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि ठेकेदारों से किराए की दुकानों पर सेवा कर वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

6.3.4 बस परिचालनों का कुप्रबंध

बसों की संख्या तथा कर्मीदल की उपलब्धता विभाग के मानकों के अनुसार रखी जाती है। ट्रैफिक विंग, कर्मी दल को रोटेशन में आराम तथा छुट्टी देता है ताकि बसें निर्धारित किलोमीटरों को पूरा कर सकें। सभी बसों को सही स्थिति में रखने के लिए वर्कशाप है तथा वर्कशाप में बसों के रोक से बचाव करती है। वर्कशाप में रोकी न गई बसों को उपलब्ध कर्मीदल के साथ रूट पर भेजा जाना चाहिए ताकि बसों तथा कर्मीदल का अधिकतम उपयोग किया जा सके तथा अधिकतम राजस्व अर्जित किया जा सके।

2010–14 की अवधि से संबंधित सात डिपुओं[7] के संबंध में 2010–11 से आगे की कम्प्यूटरीकृत रिपोर्टों के अनुसार फ्लीट तथा कर्मीदल की विस्तृत स्थिति के विश्लेषण के दौरान हमने देखा कि 1 से 29 बसें प्रतिदिन की अवधि के लिए नहीं चलाई गई थी, जबकि उन दिनों

---

[6] अंबाला, चरखी दादरी, चण्डीगढ़, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कुरूक्षेत्र, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

[7] अंबाला, चण्डीगढ़, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

ड्राइवर और कंडक्टर उपलब्ध थे। इस कुप्रबंध के कारण इन बसों पर लगाई गई स्थिर लागत निष्फल सिद्ध हुई।

विभाग ने अक्तूबर 2014 में तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि रिपोर्ट को मुख्यालय स्तर पर मानीटर किया जाएगा तथा संबंधित डिपुओं को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी किए जाएंगे।

6.3.5 मुफ्त/रियायत सुविधा की प्रतिपूर्ति न करना

राज्य सरकार ने सितंबर 1982 तथा मार्च 2014 के मध्य अपनी अधिसूचनाओं के अंतर्गत 36 श्रेणियों के लिए सात विभागों[8] को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधा अनुमत की थी। इन 36 श्रेणियों में से 27 श्रेणियों को मुफ्त यात्रा तथा शेष 9 श्रेणियों को रियायती यात्रा अनुमत की गई है।

परिवहन विभाग के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि परिवहन विभाग ने वर्ष 2009-14 के लिए ₹ 691.73 करोड़ के दावे इन विभागों पर प्रस्तुत किए जिनमें से विभागों ने ₹ 120.65 करोड़ की राशि भुगतान की थी तथा ₹ 571.08 करोड़ की शेष राशि 31 मार्च 2014 को अब भी लंबित थी। फिर भी, देयों की प्रतिपूर्ति के लिए, विभाग द्वारा मुख्य सचिव स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान पुलिस/जेल विभागों पर प्रस्तुत ₹ 106.24 करोड़ के कुल दावों में से विभाग द्वारा ₹ 60.62 करोड़ की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 45.62 करोड़ की राशि अभी तक वसूल नहीं की गई थी (नवंबर 2014)।

गृह विभाग के लिए फाइनल की गई मॉडेलिटीज के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए पुलिस तथा जेल कर्मचारियों के लिए मुफ्त/रियायती सुविधा के लिए कुल राशि ₹ 18.90 करोड़ आई। 31 मार्च 2011 तक ₹ 80 तथा 1 अप्रैल 2011 से आगे ₹ 175 की निश्चित राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी जानी थी तथा सीधे 1055 लेखाशीर्ष को जमा की जानी थी। वास्तव में कर्मचारियों के वेतन से प्राप्त वास्तविक राशि की कुल दावों से कटौती की जानी चाहिए, लेकिन हमने अवलोकित किया कि यद्यपि, कर्मचारियों के वेतन से प्राप्त वास्तविक राशि 2009-10 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.16 करोड़ से ₹ 7.88 करोड़ के मध्य श्रृंखलित थी परंतु 2009-10 से आगे प्रत्येक वर्ष के लिए भुगतान के रूप में प्राप्त ₹ 4.28 करोड़ की निश्चित राशि की कटौती करके प्रस्तुत किया गया था। ₹ 4.28 करोड़ की निश्चित राशि की गणना अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, प्रस्तुत किए गए दावे सही परिकलित नहीं किए गए थे क्योंकि कर्मचारियों के वेतन में से ₹ 22.44 करोड़ की कटौती की जानी थी तथा लेखाशीर्ष (1055) में जमा की जानी थी जबकि इस शीर्ष में दावों की राशि केवल ₹ 17.12 करोड़ काटी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.32 करोड़ के अधिक दावों की उत्पत्ति हुई।

विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि ये मामला वित्त विभाग (वि.वि.) को बजट प्रदान करने के लिए भेजा गया था तथा वि.वि. ने परामर्श दिया था कि परिवहन विभाग भी सरकारी विभाग था तथा कल्याण स्कीमें परिचालित कर सकता था इसलिए अन्तर-विभागीय निधियों के अन्तरण न्यायोचित नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत दावों

---

[8] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल विभाग, जन संपर्क विभाग, राज्य सैनिक बोर्ड, गृह विभाग (पुलिस एवं जेल) तथा शिक्षा विभाग।

के लिए संबंधित विभागों को बजट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लिया गया था तथा यदि यह कार्यान्वित नहीं किया जाना था तो मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जाना चाहिए। पुलिस विभाग को प्रस्तुत दावों के मामले में, विभाग ने बताया कि प्राप्त वास्तविक राशि के आधार पर दावे संशोधित किए जाएंगे।

इस प्रकार, सिटी बस सर्विस के लिए प्राइवेट आपरेटरों को जारी किए गए 194 परमिटों (फरीदाबाद: 67 तथा गुड़गांव: 127) के संबंध में ₹ 7.55 करोड़ की अड्डा फीस तथा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए 10 डिपुओं के संबंध में ₹ 16.83 लाख की राशि का सेवा कर दुकान के ठेकेदारों से एकत्र नहीं किया गया था। 31 मार्च 2014 को विभिन्न विभागों से नि:शुल्क/रियायत सुविधा के संबंध में ₹ 571.08 करोड़ की राशि लंबित थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

चण्डीगढ़ **(महुआ पाल)**
दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**